फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर

प्रार्थी–भूमिधारी तहसीलदार, सलूम्बर **बनाम** **विपक्षी** श्री प्रवीण व अन्य

कस्म मुकदमा :–रा.वा. (अन्तर्गत धारा 177 R.T.Act.) **प्रकरण संख्या** :–25/2019

	कार्यवाही विवरण (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00671)	
23–12–2025	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण आज नियत होने पर वादी की ओर से पैरवीकार सरकार तहसीलदार, सलूम्बर उपस्थित रहे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण दिनांक 05–07–2019 को दर्ज हुआ था तथा प्रतिवादीगण को समय–समय पर सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादीगण की तामील के संबंध में प्राप्त बाद–तामील रिपोर्ट दिनांक 29.07.2019, 24.05.2021, 13.08.2022 एवं 07.01.2025 में यह उल्लेख है कि प्रतिवादीगण अहमदाबाद में निवासरत हैं, जिसके कारण सम्मन तामील होकर वापस प्राप्त हुए। पत्रावली अनुसार दिनांक 07.01.2025 को वादी को निर्देशित किया गया था कि वह प्रतिवादीगण की तामील हेतु पूर्ण एवं सही पते सहित सम्मन/नोटिस भरकर प्रस्तुत करे, किंतु उक्त निर्देश के पश्चात् लगातार 8 पेशियों के उपरांत भी वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तामील हेतु आवश्यक सम्मन/नोटिस प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा समन की तामील हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद वादी की ओर से अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है। अतः आदेश 9 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक **23–12–2025** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। सहायक कलेक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.) उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर	